न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 13 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2006 / 00017

वादी

चमना पुत्र पीराजी, जाति–कलबी
निवासी–लुणियासर, तहसील–सांचौर
जिला–जालोर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

1 धुड़ा पुत्र मनरूपा

2 सावंलाराम पुत्र मनरूपा

3 धना पुत्र सुरा फौत के कायम मुकाम

1–मांगा पुत्र धना

जाति–कलबी, निवासी–लुणियासर

तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

4 नगा पुत्र सूरा फौत के कायम मुकाम

1–गणेशाराम पुत्र नगाराम

2–बालकाराम पुत्र नगाराम

फौत के कायम मुकाम

अ–करमीराम पुत्र बालकाराम

ब–भरत कुमार पुत्र बालकाराम

स–रमेश कुमार पुत्र बालकाराम

जातियान–कलबी, निवासीगण–

लुणियासर, तहसील–सांचौर

5 मगना पुत्र सुरा फौत के कायम मुकाम

1–हंसाराम पुत्र मगना

2–छोगाराम पुत्र मगना

3–लच्छुदेवी पत्नी मगना

जातियान–कलबी, निवासीगण–

लुणियासर, तहसील–सांचौर

6 भाणा पुत्र पीरा फौत के कायम मुकाम

1–हांसी देवी पत्नी भाणा

2–भुराराम पुत्र भाणा

3–तलकाराम पुत्र भाणा

4–जेईता पुत्र भाणा

5–अणसी पुत्री भाणा

जातियान–कलबी, निवासीगण–

लुणियासर, तहसील–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

7 राजा पुत्र पीरा

8 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी

तहसीलदार सांचौर

9 शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट शाखा पांचला

10 शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण

बैंक शाखा सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत् इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू :– 27.07.2006

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 3/1, 4/1, 4/2 (अ, ब, स), 5 (1, 2, 3), 6 (1 लगायत 5) एवं 7 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08.10.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा लुणियासर में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 79 रकबा 92 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 117 रकबा 117 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 149 रकबा 155 बीघा 2 बिस्वा जुमले रकबा 364 बीघा 8 बिस्वा के आये हुए है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि आई हुई थी। उक्त आराजी सरूपा के खातेदारी की आई हुई थी। सरूपाजी के फौत होने के बाद सरूपाजी के तीन पुत्र सूरा, पीरा व मनरूपा के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त आराजी हमारी संयुक्त कब्जा काश्त की है तथा उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा मनरूपा के उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का है तथा 1/3 हिस्सा सूरा के उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 का है तथा 1/3 हिस्सा वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 का है। वांके सरहद मौजा लुणियासर के खेत खसरा संख्या 79 रकबा 92 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 117 रकबा 117 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 149 रकबा 155 बीघा 2 बिस्वा के नये नम्बर खसरा संख्या 577 रकबा 4.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 578 रकबा 3.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 579 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 580 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581 रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 583 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 584 रकबा 2.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 585 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 586 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 587 रकबा 3.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 588 रकबा 4.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 581/813 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 582/587 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 577 रकबा 4.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 175

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

रकबा 3.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 176 रकबा 2.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 177 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180 रकबा 8.26 हैक्टेयर, खसरा संख्या 320 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 321 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 322 रकबा 9.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 323 रकबा 8.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324 रकबा 0.01 हैक्टेयंर, खसरा नंबर 325 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/833 रकबा 0.01 हैक्टेयर के आये हुए है। बिनायवाद अभी 10 रोज पहले हल्का पटवारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड की पत्रावली तैयार करवाने हेतु गया तो हल्का पटवारी ने मेरा खाता देखा तथा मुझे खातेदारी की नकल दी तथा मुझे बताया कि आपके पास जो भूमि कब्जा काश्त की है उसमें से खातदोरी में आपके कम दर्ज है तब मैंने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को कहा कि मेरे खाते की भूमि कम दर्ज है जबकि मेरे हिस्से व कब्जा के अनुसार मेरे नाम से दर्ज करवाने हेतु तहसील कार्यालय चलकर दर्ज करवाओ तब प्रतिवादीगण ने आना कानी की, तब बिनायवाद बमुकाम लुणियासर पैदा हुआ। वांके सरहद मौजा लुणियासर के खेत खसरा संख्या 582 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/857 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 583 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 579 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 580 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.48 हैक्टेयर पर मुझ वादी का कब्जा काश्त होने तथा मेरी पुश्तैनी भूमि होने से मुझ वादी के पक्ष में इस्तकरारहक की डिक्री फरमावें। वांके सरहद मौजा लुणियासर के खेत 582 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/857 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 583 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 579 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 580 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.48 हैक्टेयर पर मेरा कब्जा काश्त होने से तथा मेरे बंट में होने से बंटवाड़ा की डिक्री मेरे पक्ष में जारी फरमावें।

प्रतिवादीगण की और से जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार पैतृक आराजी आई हुई है। खेत खसरा पुराने नंबर 117, 149, 79 रकबा क्रमशः जुमले रकबा 364 बीघा 8 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नंबर 577, 578, 589, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 581/813, 582/587, 577, 175, 176, 177, 179, 179, 180, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 180/883 के आये हुए है जिसकी खातेदारी संवत् 2012 में सूरा, पीरा, मदरूपा पिसरान सरूपा के नाम से दर्ज हुई तथा दुसरा खाता जो स्व. जीता पुत्र सरूपा के नाम से संवत् 2012 में इन्द्राज हुआ। वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौजा लुणियासर में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी पर संवत् 2030 के भाईयांन बंटवाड़ा अनुसार सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी कैम्प लुणियासर के समक्ष नवीन सेटलमेंट में आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर अपने अपने बंट का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में अपने अपने बंट की जमीन की अलग अलग दुरूस्ती आपसी सहमति से दुरूस्त करवाई गई है वादी ने तथ्यों को छुपाकर श्रीमान अदालत हाजा को गुमराह करने की नियत

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

से मनगंढत एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। अतः वाद वादी अस्वीकार फरमावें।

:– उभयपक्षों के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया मौजा सरहद मौजा लुणियासर के खेत खसरा संख्या 582 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/587 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 583 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 579 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 580 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.48 हैक्टेयर मुझ वादी के कब्जा काश्त की पैतृक संपति होने से वादी खातेदारी हक प्राप्त करने का हकदार है। (जिम्मे वादी)
2. आया वांके लुणियासर के खेत खसरा संख्या 582 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/857 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 583 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 579 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 580 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.61 हैक्टेयर वादी के कब्जा काश्त की पुश्तैनी होने के बंटवाड़ा की डिक्री पाने का हकदार है। (जिम्मे वादी)
3. आया स्व. जीता के उतराधिकारी जीवा व वरंजागा को पारिवारिक पैतृक आराजी के बंटवाड़े में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद इनको पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में दावा खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी)
4. आया पारिवारिक बंटवाड़े में संयुक्त परिवार की संपूर्ण आराजी का उल्लेख नहीं करने के अभाव में वाद खारिज योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी)
5. आया आपसी सहमति से पूर्व में बंटवाड़ा किया जा चुका है पुनः बंटवाड़ा का वाद नही लाया जा सकता। (जिम्मे प्रतिवादी)
6. आया आराजी बैंक में रहन होने से बैंक को पक्षकार बनाये जाने के अभाव में वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी)

वादी द्वारा पीडब्ल्यू 1 चमना, पीडब्ल्यू 2 वरजांगा, पीडब्ल्यू 3 भावाराम, पीडब्ल्यू 4 गमना के साक्ष्य करवाये गये तथा वादी चमना ने प्रदर्श 1 से प्रदर्श 21 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये तथा उक्त वाद में दोनों पक्षों की सुनवाई कर दिनांक 19.11.2010 को वादी का वाद खारिज किया गया जिस पर वादी ने उक्त प्रकरण की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की विधिवत् सुनवाई कर दिनांक 30.04.2015 को अपील वादी चमना की आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि अपीलाण्ट/वादी बैंक को विधि अनुसार पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पेश करे, तत्पश्चात बैंक को पक्षकार बनावे तथा तनकी संख्या 6 बाबत् सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उक्त पत्रावली दिनांक 17.09.2015 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

अनुसार पुनः इसी नंबर पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा वादी चमना की ओर से श्री अधिवक्ता श्री तुलसीदास जोशी ने वकालतनामा व आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय अनुसार बैंक को पक्षकार बनाया जावें। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय अनुसार वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का स्वीकार किया गया तथा शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा पांचला व शाखा प्रबन्धक मारवाड़ ग्रामीण बैंक शाखा सांचौर को प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 6(3) तलकाराम पुत्र भाणा, जाति–कलबी, निवासी–लुणियासर ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 30.04.2015 के विरूद्व अपील पेश की गई, जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 17.10.2022 को हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2015 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2010 अपास्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर को इस निर्देश के साथ उक्त पत्रावली प्रति प्रेषित की गई कि कामय की गई प्रत्येक तनकी के संबंध में पुनः साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षों की बहस सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त पत्रावली दिनांक 28.03.2023 को पुनः इसी नंबर पर दर्ज की गई। दिनांक 29.07.2024 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सांचौर के आदेशांक 164 दिनांक 16.07.2024 की पालना में उक्त पत्रावली सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर में स्थानान्तरित की गई। दिनांक 20.08.2024 को उक्त पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई, दिनांक 07.10.2024 को वादी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश कर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत् पेश किया जिसकी प्रतिलिपि अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलवाई गई। दिनांक 22.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 3/1, 4/1, 4/2 (अ, ब, स),5 (1, 2, 3), 6 (1 लगायत 5) व 8 लगायत 10 के सम्मन तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पूर्व में पेश दस्तावेज जवाब व साक्ष्य को सही मानकर तथा अतिरिक्त दस्तावेज व साक्ष्य सबूत पेश करना नहीं चाहते है तथा दोनों पक्षों की बहस का निवेदन किया, जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी संपति होने के बावजूद सेटलमेंट के अमीनों ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 से मिलावट कर वादी का फर्जी अंगुठा करवाया गया जबकि वादग्रस्त आराजी

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned with CamScanner

वादी की पुश्तैनी संपति होने से एवं वादी का कब्जा काश्त होने से वादी के पक्ष में खातेदारी की डिक्री एवं बंटवाड़े की डिक्री जारी करने का आदेश फरमावें।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी ने वंशावली गलत पेश की है स्व. जीता के उतराधिकारी जीवा व वरजांगा जो पारिवारिक पैतृक आराजी के बंटवाड़े में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही बैंक को पक्षकार बनाया गया है एवं उक्त पैतृक आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया गया है इसलिए पुनः बंटवाड़ा का वाद वादी नहीं ला सकता अतः वादी का वाद खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस पर मनन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त पत्रावली रिमाण्ड की गई जिस पर दिनांक 28.03.2023 को उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 20.08.2024 को उक्त पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित की गई। ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण के माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज व साक्ष्य सबूत पेश नहीं करना चाहते है बाबत् निवेदन किया गया। इस प्रकार तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है, प्रदर्श–7 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 ग्राम लुणियासर के खसरा संख्या 117, 149, 79 जुमले रकबा 364 बीघा 8 बिस्वा भूमि मदरूपा वल्द सरूपा, पता, वागा, मगना पिसरान सुरा, भाणा, राजा, चमना पिसरान पीरा कौम–कलबी, सा देहखातेदारी में था। उक्त खतौनी बंदोबस्त अनुसार वादी चमना तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 भाणा एवं राजा का 1/3 हिस्सा अर्थात् शामलाती 121 बीघा 9 बिस्वा भूमि तथा प्रत्येक भाई के बंट में 40 बीघा 9 बिस्वा भूमि आती है। उक्त पुराने खसरा नंबर 117, 149, 79 से नवीन खसरा नंबर 320 से 325, 577 से 588, 581/817, 582/857, 175 से 180 नवसृजित हुए जो प्रदर्श–3 व 4 मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है, पारिवारिक बंटवाड़ा जो भू–प्रबन्ध विभाग के सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया के आदेश के पश्चात प्रदर्श–11 जमाबंदी संवत् 2059–2062 ग्राम लुणियासर के अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 व 7 भाणा, राजा पिसरान हीरा के खाते में खसरा संख्या 579, 580, 581, 581/813, 584, 585, 586, 587, 588 जुमले रकबा 14.26 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज तथा वादी चमना पुत्र पीरा की खातेदारी में प्रदर्श–8 ग्राम लुणियासर की जमाबंदी संवत् 2059–2062 के अनुसार खसरा संख्या 582, 582/857 तथा 583 जुमले रकबा 3.20 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़े में चमना को कम हिस्सा देने के समर्थन में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय अनुसार रिमाण्ड होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई अन्य दस्तावेजी या कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

किया गया है जिससे यह साबित है कि वादी को बंटवाड़े में 3.20 हैक्टेयर भूमि ही दी गई हो, जबकि दस्तावेजी एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह भली भांति वादी साबित करने में सफल रहे है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 40 बीघा भूमि का अधिकार था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वादी वादग्रस्त भूमि ग्राम लुणियासर के नवीन खेत खसरा संख्या 582 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/857 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 583 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 579 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 580 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.48 हैक्टेयर भूमि जो प्रदर्श–7 में वादी अपने हिस्से के अनुरूप दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादी को उपरोक्तानुसार खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकार होने से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है परन्तु अधिवक्ता वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अनुतोष नहीं चाहने पर अन्तर्गत धारा 53 को विड्रो किया गया।

तनकी संख्या 03 :– उक्त तनकी साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है। प्रदर्श–7 में खसरा संख्या 117, 149, 79 की खातेदारी मनरूपा वल्द सरूपा, पना, वागा पिसरान सुरा, भाणा, राजा, चमना पिसरान पीरा कौम कलबी, सादेह व हिस्सा बराबर खातेदार दर्शाया गया है। स्व. जीता के उतराधिकारी वरजांगा पुत्र सवाजी ने अपने बयान दिनांक 02.08.2007 में बताया है कि जीता पुत्र सरूपा मेरे सगा दादा थे जो राठौड़ी राज में सेटलमेंट से पहले सरूपा से अपना बंट लेकर अपने बाप से अलग हो गये थे तथा सरूपा के तीन लड़के मदरूपा, सुरा व पीरा, सरूपा के साथ रहते थे। इस प्रकार 364 बीघा खातेदारी में मेरे दादा जीता व मेरे पिता व हमारा कोई बंट नहीं था क्योंकि हमें हमारा बंट पहले से ही मिल चुका था तथा प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने के संबंध में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त प्रकरण में स्व. जीता के उतराधिकारी जीवा व वरजांगा आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योंकि उनके दादा जीता पिसरान सरूपा का हिस्सा प्रथम तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या 04 :– उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है, परन्तु उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई ऐसा दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित हो कि वादी ने पारिवारिक बंटवाड़े में संयुक्त परिवार की संपूर्ण आराजी का उल्लेख नहीं किया गया हो, अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या 05 :– उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है, प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा एक भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

गया है तथा न ही कोई ऐसा साक्ष्य सबुत पेश किया गया है जिससे यह साबित हो कि पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से पूर्व में बंटवाड़ा किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 06 :–</u> उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है पूर्व में इस न्यायालय (सहायक कलक्टर सांचौर) द्वारा दिनांक 19.11.2010 को एस.बी.बी.जे. बैंक पांचला तथा मारवाड़ ग्रामीण बैंक शाखा सांचौर को पक्षकार नहीं बनाने से आवश्यक पक्षकार के अभाव में उक्त तनकी वादी के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित करने से वादी का वाद खारिज किया गया था, जिस पर वादी ने उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील पेश की थी, तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने दोनों पक्षों की विधिवत् सुनवाई कर दिनांक 30.04.2015 को निर्णय पारित किया गया कि <u>वादी/अपीलाण्ट</u> चमना की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर बैंक को विधि अनुसार पक्षकार बनाया जाकर तनकी संख्या 6 पर निर्णय पारित करे। उक्त निर्णय के आधार पर वादी ने भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.बी.जे.) शाखा पांचला व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (मारवाड़ ग्रामीण बैंक) शाखा सांचौर को विधिवत् पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिस पर दिनांक 17.09.2015 को उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के रूप में उक्त दोनों बैंकों को पक्षकार संयोजित किया गया तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय के विरूद्व प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर दिनांक 17.10.2022 को संपूर्ण तनकी पर विधिवत् निर्णय करने बाबत् उक्त पत्रावली प्रति प्रेषित की गई परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य सबुत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के रूप में उक्त दोनों बैंको को पक्षकार क्यों नहीं बनाया जा सके। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त दोनों बैंकों को हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 9 व 10 पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी को प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से तनकी संख्या 06 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी अपने पक्ष में तथा तनकी संख्या 3 लगायत 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि वांके सरहद मौजा लुणियासर के खेत खसरा संख्या 582 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/857 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 583 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 579

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 580 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.48 हैक्टेयर भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कि जावें। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। डिक्री पर्चा मूर्तिब हो तथा जिन खातेदारों द्वारा लोन प्राप्त किया हुआ है वो उन्हीं खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
Civil Procedure Code, Appendix "D-"1

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 13/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2006/00017

वादी	प्रतिवादीगण
चमना पुत्र पीराजी, जाति–कलबी निवासी–लुणियासर, तहसील–सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान	1 धुड़ा पुत्र मनरूपा 2 सावंलाराम पुत्र मनरूपा 3 धना पुत्र सुरा फौत के कायम मुकाम 1–मांगा पुत्र धना जाति–कलबी, निवासी–लुणियासर तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 4 नगा पुत्र सूरा फौत के कायम मुकाम 1–गणेशाराम पुत्र नगाराम 2–बालकाराम पुत्र नगाराम फौत के कायम मुकाम अ–करमीराम पुत्र बालकाराम ब–भरत कुमार पुत्र बालकाराम स–रमेश कुमार पुत्र बालकाराम जातियान–कलबी, निवासीगण– लुणियासर, तहसील–सांचौर 5 मगना पुत्र सुरा फौत के कायम मुकाम 1–हंसाराम पुत्र मगना 2–छोगाराम पुत्र मगना 3–लच्छुदेवी पत्नी मगना जातियान–कलबी, निवासीगण– लुणियासर, तहसील–सांचौर 6 भाणा पुत्र पीरा फौत के कायम मुकाम 1–हांसी देवी पत्नी भाणा 2–भुराराम पुत्र भाणा 3–तलकाराम पुत्र भाणा 4–जेईता पुत्र भाणा 5–अणसी पुत्री भाणा जातियान–कलबी, निवासीगण–

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

लुणियासर, तहसील–सांचौर

7 राजा पुत्र पीरा

8 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी

तहसीलदार सांचौर

9 शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट शाखा पांचला

10 शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण

बैंक शाखा सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत् इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि वांके सरहद मौजा लुणियासर के खेत खसरा संख्या 582 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/857 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 583 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 579 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 580 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.48 हैक्टेयर भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कि जावें। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। डिक्री पर्चा मूर्तिब हो तथा जिन खातेदारों द्वारा लोन प्राप्त किया हुआ है वो उन्हीं खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों

मौजा–लूणियासर मुवलिंग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह फीसदी, सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा कर।

बशर्ते मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **08.10.2025** को जारी की गई

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचौर, जिला–जालोर

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालात नामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूय	00		महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00		खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00		फीस कमीश्नर	00	00
फीस कमीश्नर	00		बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00		मुतफरीक	00	00
मुतफरिक	00				
मौजाना	04	00	मौजाना	04	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचौर, जिला–जालोर

Scanned with CamScanner